

FORM NO -III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर,

मुकाम

नागौर

प्रार्थी  
मनोज पुत्र रामूराम जाति ब्राह्मण  
निवासी बुरडी तहसील डेह  
जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण  
1. सरकार जरिये हल्का पटवारी,  
झाड़ेली तहसील डेह  
जिला नागौर वगैरह

किस्म मुकदमा

स्थगन प्रार्थना पत्र

संख्या

53

सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुकम तारीख जारी हुए
24 <sup>12</sup> / <sub>24</sub>	<p>वकील प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार डेह द्वारा प्रकरण संख्या 60/2024 बअनवान सरकार बनाम मनोज धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2023 के विरुद्ध यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को साधारण डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक ..15.1.12 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर, नागौर</p>	
15 <sup>1</sup> / <sub>25</sub>	<p>वकील प्रार्थी उप. नौ. श्रीमान् P.O. सा. भाज अवकाश पर हो पत्रावली दिनांक 12/1/25 को पेश हो।</p>	
12 <sup>02</sup> / <sub>25</sub>	<p>वकील प्रार्थी एवं राज्यपेटोकार उप. नौ. वकील प्रार्थी की पत्रावली के साथ दिनांक 04/03/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">2 कलक्टर नागौर</p>	
04/03/2025	<p>वकील प्रार्थी एवं राज्यपेटोकार उप. नौ. वकील प्रार्थी की पत्रावली की जा-पुकी है। इसलिए इन प्रार्थना की पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली के साथ मुकाम डेह नमूने से अद होकर वाकिफ पत्रावली है।</p> <p style="text-align: right;">कलक्टर नागौर</p>	